प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ / प्राशि / जय / सा–5 / फा–मान्यता / 220 / 2012 दिनांक–9-10-12

संस्था सचिव

सरदार पटेल पब्लिक स्कूल

कैलाश मार्ग, भट्टी मार्केट

मानसरोवर, जयपुर

विषय– नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 15-6-12 और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ मे, मैं सरदार पटेल पब्लिक स्कूल (विद्यालय का नाम और पता) कैलाश मार्ग, भट्टी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर को [illegible] से [illegible] तक [illegible] वर्ष की कालावधि के लिए कक्षा 1st से 5th तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता हूं।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम स 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा–1 मे या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण मे प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

For Sardar Patel Public School, Jaipur

(Secretary)

SARDAR PATEL PUBLIC SCHOOL

PRINCIPAL

MANSAROVAR, JAIPUR

5 सोसायटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।

6 विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ,

(ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ,

(iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ,

(v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये , -

(vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाये ;

परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते है, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;

(vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते है ; और

(viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेगें।

7 विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8 विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र

For Sardar Patel Public School, Jaipur
(Secretary)

2

- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन शिक्षण सामग्री / खेल–कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।

9 विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।

10 विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिए जायेंगे।

11 विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,* 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (. 1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।

12 विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।

13 किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/DEO/E/JPR/2012-13/...0234...) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।

15 विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा / जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय- समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण मे त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जाये।

16 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिचित करें।

17 अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है।

18 ....

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

For Sardar Patel Public School, Jaipur
(Secretary)

SARDAR PATEL PUBLIC SCHOOL

(मान्यता आं वरिष्ठ RS/DEO/E/JPR)
स्कूल कोड – 08122602608   2012-13/0230
वार्ड नं. – 26 – JPR west   (W8A3E)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय –आदेश

राज्य सरकार स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग के पत्र क्रमांक प.9(2) शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 12.01.12 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकःशिविरा/प्रार/शैक्षिक/19626/मूल मान्यता/2011–12/ दिनांक 13.01.12 की अनुपालना में इस कार्यालय के द्वारा निम्नांकित संस्थाओं को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु प्राप्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार द्वारा निर्देशित शर्तो व पालना करने बाबत प्रस्तुत शपथ–पत्र (अण्डर टेकिंग) एवं समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्र 2012–13 से कक्षा 5 संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 9(2)शिक्षा–5/2005 पार्ट / जयपुर दिनांक 13.09.12 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के क्रमांक शिविरा/प्रार/शैक्षिक/सी/19626/मूल मान्यता/12–13 /34 दिनांक 18.09.12 की अनुपालना में संस्था द्वारा अतिरिक्त मान्यता शुल्क रू. 15000/– जमा करवाये जाने पर सत्र 2012–13 से कक्षा 5 के साथ–साथ कक्षा 6, 7 व 8 भी संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

क्र सं	संस्था का नाम व पता	मान्यता स्तर हिन्दी अंग्रेजी	अतिरिक्त मान्यता शुल्क डी डी संख्या / दिनांक	बैंक का नाम	राशि
1	दी भूमिजा मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मयूर विहार, नांगल जैसा बोहरा	अंग्रेजी	456063 / 21.09.12	S.B.B.J	15000
2	अजन्ता वर्ल्ड स्कूल, गिर्राज नगर, चौमू	अंग्रेजी	502533 / 8.10.12	S B B J	15000
3	श्री श्याम विद्या मंदिर, श्याम वाटिका, नई ढाणी, नांगल जैसा बोहरा	हिन्दी	005330 / 8.12..12.	Bank of India	15000
4	लिटिल स्टेप किड्स एकेडमी, केशव नगर, चरण नदी, मुरलीपुरा स्कीम, बाईपास रोड, जयपुर	अंग्रेजी	592922 / 14.12..12	U.Co. Bank	15000
5	जयश्री विद्यापीठ, गणेश कॉलोनी–प्र. शिव कुडा की ढलाई, प.स. झोटवाडा	हिन्दी	769914 / 17.12..12	S B I	15000
6	चिल्ड्रन्स डवलपमेंट एकेडमी, 38, पवन पुरी बैनाड रोड जयपुर	अंग्रेजी	744586 / 7.12.12	P.N.B	15000
7	सिद्धीकर्ता पब्लिक स्कूल, 4एस ए, ब्लॉक, लोहा मण्डी रोड, माचडा	अंग्रेजी	525865 / 14.12..12	S B B J	15000
8	सरदार पटेल पब्लिक स्कूल टैगोर मार्ग थड़ी मार्केट मानसरोवर जयपुर	अंग्रेजी	169034 / 19.12..12	S B I	15000
9	कैरियर लर्निंग पॉइंट शिक्षण संस्थान, सल्या वाला, आमेर	अंग्रेजी	525867 / 8.12..12	S B B J	15000
10	शारदा शिक्षण संस्थान, सांवलिया, चाकसू	हिन्दी	048330 / 19.10.12	Bank of Baroda	15000

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

क्रमांक जिशिअ/प्रार/प्राशि/स्था 5/फो– /मान्यता/12–13 540 दिनांक 27.12.12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. शासन उपसचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक महोदय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
4. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
5. सचिव, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

मान्यता आदेश संलग्न है।

For Sardar Patel Public School Jaipur (Secretary)

SARDAR PATEL PUBLIC SCHOOL MANSAROVAR JAIPUR PRINCIPAL